न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 387/2017/225 आर टी ए

1. दुलीचन्द पुत्र श्री नानकराम जाति जाट उम्र 60 वर्ष निवासी चक 8 के डबल्यु एस एम मण्डी घडसाना तहसील घडसाना जिला श्री गंगानगर (राज0)

––अपीलांट

बनाम

1. अर्जनराम पुत्र श्री रतीराम जाति मेघवाल निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)

––असल रेस्पो0

2. बालकृष्ण पुत्र श्री नानकराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)
3. महावीर पुत्र श्री नानकराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)
4. बिन्दर सिंह पुत्र श्री छोटुसिंह जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)
5. गुरजन्ट सिंह पुत्र श्री छोटुसिंह जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)
6. जरनैल सिंह पुत्र श्री छोटुसिंह जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)
7. रामगोपाल पुत्र श्री चन्दुराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)
8. बृजलाल पुत्र श्री चन्दुराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)
9. चन्द्रावती पत्नि श्री साहबराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)
10. सुनील कुमार पुत्र श्री हंसराज जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)
11. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 01.05.2017 बअदालत उपखण्डाधिकारी संगरिया
प्रकरण 32/2013 बअनवानी अर्जनराम बनाम दुलीचन्द आदि

उपस्थित :–

श्री सोमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता अपीलांटस

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 11

निर्णय दिनांकः–05.07.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए प्रस्तुत किया कि प्रार्थी को रास्ता की आवश्यकता है। चक 3 एनजीआर प.न. 176/222 की मुरब्बा लाईन पर स्वीकृत रास्ता बना हुआ है, उक्त रास्ता तक जाने हेतु रेस्पो0 सं. 1 को मु.न. 40 के कि.न. 1 ता 5 से होकर गुजरना पड़ता है। कि.न. 1 रेस्पो0 सं. 1 का है व कि.न. 2, 3, 5 अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 व 3 के कब्जा मे है कि.न. 4 अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 11 के कब्जा काश्त मे है। कि.न. 1 ता 5 प्रत्येक मे 0.025 है0 खाला स्वीकृतशुदा है जो उपयोग मे नही है। अतः उक्त स्वीकृत खाला को रास्ता मे परिवर्तित कर रास्ता स्वीकृत किया जावें। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र रेस्पो0 सं. 1 स्वीकार कर मंजूरशुदा खाला को निरस्त कर खाले के स्थान पर आने जाने हेतु रास्ता स्वीकृत कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश कतई गलत व विधि विरूद्ध है। अपीलांट अर्सा 25 वर्षो से गांव नगराना तहसील संगरिया मे निवास नही करता बल्कि अपीलांट गत 25 वर्षो से चक 8 केडब्ल्यूएसएम घड़साना मे निवास कर रहा है। रेस्पो0 को अपीलांट की रिहायश घड़साना होने का बखूबी ज्ञान है लेकिन रेस्पो0 ने जानबूझकर अपीलांट की रिहायश गलत अंकित कर अपीलाधीन निर्णय हासिल किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस कभी भी अपीलांट को नही मिला व न ही अपीलांट की विधिवत तरीके से कभी तामील हुई है। अपीलाधीन निर्णय पक्षकारान को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 2 व 3 दिनांक 22.07.17 को उपस्थित आये तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 ता 11 की तलबी हेतु मुर्करर की गई। अपीलांट/अप्रार्थी सं. 1 की कभी कोई विधिवत तामील नही हुई व न ही फर्द अहकाम पर अपीलांट की तामील होने या न होने का कोई हवाला दिया बल्कि सीधे ही दिनांक 05.03.2014 को पत्रावली रेस्पो0/अप्रार्थी सं. 4 से 11 की तलबी हेतु मुर्करर कर दी जो कतई विधिसम्मत एवं न्यायसंगत नही है। रेस्पो0/अप्रार्थी सं. 4, 7 ता 10 की तलबी हेतु नोटिस स्थानीय अखबार मे प्रकाशित करवाया गया था जो अखबार केवल मात्र मण्डी

संगरिया मे ही वितरित होता है नगराना गांव मे उक्त अखबार कभी भी नही आया। अखबार के जरिये विधिवत तामील तभी स्वीकार की जा सकती है जब नोटिस ऐसे अखबार मे प्रकाशित किया जावे जो प्रभावित पक्षकार के निवास स्थान तक जाता हो। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे स्वीकृतशुदा खाला को निरस्त कर उसके स्थान पर रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा है, खाला स्वीकार करने व निरस्त करने का अधिकार जल संसाधन विभाग को प्राप्त है लेकिन रेस्पो0 द्वारा जल संसाधन विभाग को पक्षकार ही नही बनाया है जो इस मामला मे आवश्यक पक्षकार है। विधिनुसार आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत प्रकरण चलने योग्य ही नही है। इसके अलावा रेस्पो0 सं. 1 हमेशा से प.न. 175/221 की पत्थर लाईन पर चले रहे रास्ता से होकर प.न. 175/221 कि.न 4 व 7 से होते हुए अपने खेत मे आता जाता है, रेस्पो0 सं. 1 को अपने खेत मे आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस खाला के स्थान पर रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये गये है उसी खाला से अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 10 अपने खेतो मे सिंचाई करते है। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया था व धारा 251क आरटीए मे अधीनस्थ न्यायालय को खाला निरस्त करने की अधिकारिता हासिल नही है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.05.17 का ज्ञान अपीलांअ को नही था क्योंकि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपीलांट के निवास स्थान का पता गलत अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गाय जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस कभी भी अपीलांट को नही मिला। अपीलांट को सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 23.10.17 को हुआ जब अपीलांट अपनी जमीन सम्भालने के लिए गांव आया तो रेस्पो0 सं. 3 महावीर ने अपीलाधीन निर्णय का बताया जिस पर अपीलांट ने दिनांक 24.10.17 को निर्णय की प्रति हासिल की। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावें। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2016(1) पेज 440 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए प्रस्तुत किया कि प्रार्थी को रास्ता की आवश्यकता है। चक 3 एनजीआर प.न. 176/222 की मुरब्बा लाईन पर स्वीकृत रास्ता बना हुआ है, उक्त रास्ता तक जाने हेतु रेस्पो0 सं. 1 को मु.न. 40 के कि.न. 1 ता 5 से होकर गुजरना पड़ता है। कि.न. 1 रेस्पो0 सं. 1 का है व कि.न. 2, 3, 5 अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 व 3 के कब्जा मे है कि.न. 4 अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 11 के कब्जा काश्त मे है। कि.न. 1 ता 5 प्रत्येक मे 0.025 है0 खाला स्वीकृतशुदा है जो उपयोग मे नही है। अतः उक्त स्वीकृत खाला को रास्ता मे परिवर्तित कर रास्ता स्वीकृत किया जावें। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मंजूरशुदा खाला को निरस्त कर खाले के स्थान पर आने जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया गया है जो सही है। अपीलांट का यह तर्क कि उक्त खाला मौके पर चल रहा है और अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 10 उक्त खाला से सिंचाई कर रहे है कतई निराधार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाला के संबंध मे अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़ से रिपोर्ट ली गई थी तथा पटवारी हल्का नगराना द्वारा भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि प.न. 176/222 कि.न. 1 ता 5 मे न तो विभाग मे खाला स्वीकृत है और न ही मौके पर कोई खाला है। अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़ अंकित किया गया कि अर्जुनराम के प्रार्थना पत्र मे वर्णित मांग की जांच के पश्चात पाया गया कि मुरब्बा 176/222 के कि.न. 1 ता 5 मे इस विभाग मे जलमार्ग स्वीकृत नही है। जहां तक अपीलांट की तामील का प्रश्न है तो अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 व 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा रेस्पो0 सं. 2 व 3 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी आये है। अपीलांट व रेस्पो0 को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान निर्णय की दिनांक से ही रहा है। अपीलांट ने मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे मौका एवं तथ्यांत्मक जांच रिपोर्ट लेते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट ने बिना किसी आधार के उक्त अपील प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 11 ने अपनी बहस मे कथन किया कि कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर चक 3 एनजीआर प.न. 176/222 के कि.न. 1 ता 5 के स्वीकृतशुदा खाला के स्थान पर रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को बिना सुने प्रश्नगत खाला के स्थान पर रास्ता स्वीकृत कर दिया गया। जबकि अपीलांट के कथनानुसार उक्त खाला का उपयोग एवं उपभोग अपीलांट सिंचाई हेतु कर रहे है तथा प्रार्थी/रेस्पो0 को उक्त रास्ता के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा इसी वैकल्पिक रास्ता से होकर रेस्पो0 सं. 1 आवागमन कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न चैकलिस्ट मे भी निकटतम रास्ते के संबंध मे रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत रास्ता के अलावा प.न. 175/223 मु.न. 45 से गुजरने वाला कि.न. 1 ता 5 का रास्ता प्रार्थी के रकबे से तीन बीघा दूरी पर है जबकि प्रश्नगत रास्ता प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा चाहा गया रास्ता रेस्पो0 के रकबा से 4 बीघा दूरी पर स्थित है तथा अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2016(1) पेज 440 के अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि मे रास्ता की परम आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए जब कम दूरी का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तब लम्बी दूरी का मार्ग स्वीकृत नही करना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानो के अनुसार निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए तथा प्रस्तावित रास्ता के अलावा वैकल्पिक रास्ता के बिन्दू को भी ध्यान रखा जाना चाहिए तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण करवाया जाकर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत ही रास्ता के प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रभावित पक्षकार को सुने

तथा आवश्यक पक्षकार सिंचाई विभाग को बिना पक्षकार बनाये स्वीकृतशुदा को खाला को निरस्त करते हुए खाला के स्थान पर नया रास्ता स्वीकृत किया गया है जिसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण करवाया जाकर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत तथा वैकल्पिक रास्ता को मध्यनजर रखते हुए वैकल्पिक रास्ता से प्रभावित काश्तकारान को आवश्यक पक्षकार के रूप मे संयोजित कर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ